Career Advancement scheme & assured career promotion scheme government notification and university circular

Index

Sr. No.	Details	Page No.
1	Career advancement scheme notification and university circular for promotion of teachers	1-3
2	Assured career promotion scheme notification and university circular for non-teaching staff	4-19

संख्या– 2052/67–कृशिअ–14–1500(16)/(

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

As per the notification of UGC vide letter no. UGC.F.o. 3-1/2009 dated 30.06.2009 and letter of DARE, Govt. of India (letter no. f.no.-1(01) 2009-per-IV) Career advancement scheme for promotion of teachers is effective from 30.06.2010.

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर/फैजाबाद/मेरठ/बांदा/
शियाट्स (डीम्ड विश्वविद्यालय),
इलाहाबाद।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ:दिनांक:30 सितम्बर, 2014

विषय– कृषि विश्वविद्यालयों में संशोधित कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम (CAS) के लागू किये जाने की प्रभावी तिथि निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–2631/67–कृशिअ–10–1500(16)/09 दिनांक 21.09.2010 द्वारा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या–1(01)/2009–Per.IV, दिनांक 13.03.2009 द्वारा अंगीकृत यू0जी0सी0 की संस्तुतियों के आधार पर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या–1–32/2006–U.II/U-I(i), दिनांक 31.12.2008 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमानों को उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम–1958 द्वारा विनियमित कृषि विश्वविद्यालयों तथा इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), इलाहाबाद के वेतन संदाय पर नियुक्त पूर्णकालिक शिक्षक/समकक्षीय संवर्ग के लिये लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या–1–32/2006–U.II/U-I(i), दिनांक31.12.2008 में मात्र शिक्षकों एवं समकक्षीय के दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में विभिन्न गाइड लाइन्स दी गयी है। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के प्रभावी होने संबंधित कोई भी गाइड लाइन्स नहीं है। यू0जी0सी0 द्वारा निर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 30.06.2010 में कैरियर

Director
Administration & Monitoring

एडवांसमेंट स्कीम लागू किये जाने के संबंध में प्राविधान किये गये है। यह भी उल्लेख किया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से निर्गत पत्र दिनांक 27.04.2012 में यू0जी0सी0 द्वारा निर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 30.06.2010 को सभी राज्य सरकारों को पृष्ठांकित करते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है। यह भी अवगत कराया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम दिनांक 30.06.2010 से प्रभावी करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षकों के लिए संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम को दिनांक 30.06.2010 से प्रभावी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

2– कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों की संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम–1958 द्वारा विनियमित कृषि विश्वविद्यालयों एवं इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), इलाहाबाद के शिक्षकों को संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम की व्यवस्था दिनांक 30.06.2010 से प्रभावी किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है :–

1. कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No.1(01)/2009-Per.IV, दिनांक 02.08.2010, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नोटिफिकेशन संख्या–F.No.3-1/2009 दिनांक 30.06.2010 में संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के संबंध में उल्लिखित शर्तो, मानको, अर्हताओं, प्राविधानों तथा प्रकिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ प्रदान किया जायेगा।
2. संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 30.06.2010 से लागू होगी। इससे पहले कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के संबंध में पूर्ववत व्यवस्था ही लागू रहेगी।

Director
Administration & Monitoring

3. संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों में उक्त व्यवस्था का लाभ उन्हीं शिक्षकों को ही अनुमन्य होगा, जो शासन द्वारा सृजित एवं मान्य पदों पर नियमित चयन के माध्यम से नियुक्त हुए हो।
4. संबंधित विश्वविद्यालयों में संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम की व्यवस्था तभी प्रभावी की जायेगी जबकि इसे लागू किये जाने हेतु अन्य आवश्यक शर्तें यथा परिनियमावली में संशोधन आदि की कार्यवाही संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार पूर्ण कर ली गयी हो।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–1–597 / दस–2014, दिनांक 23 सितम्बर, 2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2052(1) / 67–कृशिअ–10,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम / आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक एवं सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल / कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
5. उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1 / वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग–1 / 2, वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 / वित्त (लेखा) अनुभाग–3 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन)
संयुक्त सचिव।

Director
Administration & Monitoring

Assured career promotion scheme for non-teaching staff

आदेश

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं. 375/67–कृ.शि.अ–13–500(26)/2011 दिनांक 19 मार्च,2013 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कार्मिकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था शासनादेश सं. वे.आ–2–3282/दस–62(एम)/2008 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 एवं तत्क्रम में समय–समय पर संशोधित शासनादेशों को लागू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह आदेश वित्त अनुभाग की सहमति एवं सक्षम अधिकारी के सहमति से जारी किया जा रहा है।

Provision of assured career promotion for non-teaching staff is effective vide government notification no. ve.a-2-3282/dus-62(M)/2008 dated 23.December 2010

(पी.के. गुप्ता)
निदेशक
प्रशासन एवं परिवीक्षण

नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद

पत्रांक–NDUAT-07/स्था–4/व्य./2013/ 2 दिनांक / अप्रैल,2013

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक को शासनादेशों की प्रति सहित इस आशय से कि शासनादेशों की प्रति अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. वित्त नियंत्रक को शासनादेशों की प्रति सहित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
4. प्रभारी अधिकारी, के.वी.के./के.जी.के./फ.अनु.के. एवं अन्य शोध योजनायें।
5. कुलपति के सचिव।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

(पी.के. गुप्ता)
निदेशक
प्रशासन एवं परिवीक्षण

Attested

Director
Administration & Monitoring

Samaher-CP/E-4/Order/2013

संख्या:–वे0आ0–2–3282 / दस–62(एम) / 2008

प्रशासनिक अधिकारी

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2010

विषय:– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के समस्त श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होगी। दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणामस्वरुप, दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में रु0 8000–13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक ही प्रभावी पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समझी जायेगी। शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1315 / दस–59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का प्रस्तर–5 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(2) (i) ए0सी0पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे :—

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के

Attested
Director
Administration & Monitoring

वेतनमान / सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर सन्तोषजनक रुप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु

किसी पद का वेतनमान / ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान / ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान / ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iii) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(iv) ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने

Attested
Director
Administration & Monitoring

के उपरान्त, केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु,

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए०सी०पी० की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(v) प्रदेश के अन्य सहायक प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रुप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं सम्बन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(vi) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित सन्तोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(vii) केन्द्र सरकार/राजकीय विभागों/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/ सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक "अ" पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-6 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से, अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संबंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित पदधारक को

Attested
Director
Administration & Monitoring

पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

(4) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा–नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

(5) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही / दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो एoसीoपीo की व्यवस्था के अंतर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शामिल होती है। अतः ऐसे मामले उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के सुसंगत प्रावधानों एवं तत्क्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।

(6) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन / ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन / ग्रेड वेतन की माँग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन / ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(7) यदि कोई कार्मिक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस कार्मिक को अनुमन्य उस वित्तीय

स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे कार्मिक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) ऐसे कार्मिक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के ग्रेड वेतन के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन

Attested

Director
Administration & Monitoring

के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु सम्बन्धित कार्मिक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है, तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(9) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत कार्मिकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अंतर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(10) समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2– समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत् लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे :—

(1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08/10 वर्ष एवं 19/21 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन+ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रुपये से पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(2) (i) 14/16 वर्ष एवं 24/26 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन

Attested
Director
Administration & Monitoring

यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु...

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाये, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर–2(i) तथा 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/ सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ

Attested
A.K.S.
Director
Administration & Monitoring

को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तदनुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु,

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तदनुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

टिप्पणी :— उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक–1 पर उपलब्ध हैं।

3– पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता निम्नवत् होगी :—

(1) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

(2) ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होगा :—

(i) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08/10 वर्ष तथा 19/21 वर्ष के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, अनुमन्य

Attested

Director
Administration & Monitoring

क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(ii) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

जिन्हें प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 16 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य कराने की व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(iii) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य कराने की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभ अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

जिन्हें द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 26 वर्ष की सेवा के आधार पर अनुमन्य कराने की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

Attested
AK82
Director
Administration & Monitoring

परन्तु ,

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेततमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए०सी०पी० की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

4— वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

5— (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्कीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्कीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्कीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा, जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी–ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्कीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्कीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त स्कीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में सम्बन्धित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) समस्त विभागों में सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2009 के कम में यदि स्कीनिंग कमेटी

Attested

Director
Administration & Monitoring

का गठन अभी तक नहीं किया गया है, तो इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर लिया जायेगा।

(5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

6– सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–211/दस– 2001–45(एम)/99 दिनांक 06 फरवरी, 2001 तथा तत्क्रम में जारी अन्य शासनादेशों द्वारा निर्धारित समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रहेगी, जिन पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है। साथ ही ऐसे शैक्षिक पद जिन पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है, उन पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था भी लागू होगी।

7– ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59एम/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या–वे0आ0– 2– 1632/दस–59(एम)/2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(signature)

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या:–वे0आ0–2–3282 (1)/दस–62(एम)/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–1 एवं 2 तथा (आडिट)–1 एवं 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मा0 राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
(4) उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्तर्गत शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(5) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

Attested
Director
Administration & Monitoring

(6) समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश
(7) निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(8) समस्त मण्डलीय संयुक्त / उप शिक्षा निदेशक / समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें ,उत्तर प्रदेश ।
(9) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(11) निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें / अरबी फारसी मदरसे, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(12) समस्त सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें ,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(13) उत्तर प्रदेश के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।
(14) प्रधानाचार्य, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।
(15) प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।
(16) कुल सचिव, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा ।
(17) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(18) निदेशक, के0एन0इंस्टीट्यूट आफ साईस एण्ड टेक्नालोजी, सुल्तानपुर।
(19) निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लखनऊ।
(20) निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
(21) प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।
(22) प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0(एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।
(23) प्रधानाचार्य, किश्चियन(एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
(24) प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
(25) प्रधानाचार्य, इलाहाबाद।...

(25) प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
(26) प्रधानाचार्य, एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।
(27) व्यवस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।
(28) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
(29) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
(30) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
(31) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साईट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

Attested
Director
Administration & Monitoring

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–3282/दस–62(एम)/2008, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 का संलग्नक

उदाहरण–1

वेतनमान रु0 4000–6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/–) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर, उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का वेतनमान रु0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/–) अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए रु0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) का संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरुप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान रु0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/–) के स्थान पर, पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/ उच्चीकृत वेतनमान रु0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) वैयक्तिक रुप से अनुमन्य होगा।

उदाहरण–2(I) :–

वेतनमान रु0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रुप में रु0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) अनुमन्य हुआ। इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रुप से अनुमन्य वेतनमान के लिए समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरुप सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रुप में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरुप उक्त कार्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रुप में अनुमन्य रु0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– अनुमन्य होगा।

Attested
Director
Administration & Monitoring

परिशिष्ट-2(11)

इसी प्रकार वेतनमान रु0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में रु0 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/-) अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- अनुमन्य है। उक्त स्थिति में सम्बन्धित पद पर द्वितीय अगले वेतनमान के रुप में वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/- अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरुप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रुप में अनुमन्य रु0 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/-) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/- अनुमन्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2- 1318/दस-69(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा तत्क्रम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

Attested
AC 8/
Director
Administration & Monitoring

संलग्नक–2

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–3282/दस–62(एम)/2008, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 का संलग्नक

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू एसीपी के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रकिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22 बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित सरकारी कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम–23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरुप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरुप, यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन रु0 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना रु0 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना रु0 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नय अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :—

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रुप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन

Attested
ACS
Director
Administration & Monitoring

के रुप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोटः— यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। उदाहरण— किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नय यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नय किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। उदाहरण—किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नय यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

Attested

Director
Administration & Monitoring

पी०एस०यू०पी०– ए०पी० 122 सा०वित्त–17–1–2011–(2000)–5,000 प्रतियां (ऑफसेट)।